सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, एकलिंगगढ़, उदयपुर

एकलिंगगढ़ कैंट, गोवर्धन विलास, उदयपुर – 313001, राजस्थान | संबद्धता: सीबीएसई, संबद्धता क्रमांक 1700020
संचालित: केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है

क्र.	विवरण	जानकारी
i	**संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण**	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, एकलिंगगढ़, उदयपुर की स्थापना 1986 में हुई थी और यह वर्ष 2000 में एकलिंगगढ़ कैंट (डाइट, गोवर्धन विलास के निकट) स्थित अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हुआ। इसका संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) द्वारा किया जाता है, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, और यह सीबीएसई (संबद्धता क्रमांक 1700020) से संबद्ध है। यहाँ कक्षा I से XII तक शिक्षा दी जाती है, तथा कक्षा XI–XII में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय उपलब्ध हैं। विद्यालय मुख्यतः स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जिनमें रक्षा एवं अर्ध-सैनिक बल के कर्मी शामिल हैं, के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, साथ ही रिक्त सीटों पर अन्य पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जाता है, जो केवीएस के देशभर में एक समान गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने के अधिदेश के अनुरूप है।
ii	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य**	प्रधानाचार्य — केवीएस नियमों के अनुसार विद्यालय के समग्र प्रशासन, शैक्षणिक पर्यवेक्षण एवं अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी।
iii	**निर्णय लेने की प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही की श्रृंखला शामिल है**	प्रवेश प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष केंद्रीय रूप से जारी की जाने वाली सामान्य केवीएस प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है, जिसे विद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तथा प्रधानाचार्य द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दैनिक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक निर्णय प्रधानाचार्य द्वारा लिए जाते हैं, जो उप आयुक्त, केवीएस क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को तथा अंततः केवीएस मुख्यालय, नई दिल्ली को रिपोर्ट करते हैं।

क्र.	विवरण	जानकारी
iv	**कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित मानदंड**	प्रवेश वार्षिक केवीएस प्रवेश दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होता है, जिसमें आयु मानदंड तथा कक्षा I हेतु प्राथमिकता-आधारित/लॉटरी प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें सामान्यतः स्थानांतरणीय केंद्र सरकार (रक्षा एवं अर्ध-सैनिक बल सहित) कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। पदोन्नति, उपस्थिति एवं परीक्षा संबंधी मानदंड सभी केंद्रीय विद्यालयों पर लागू सीबीएसई एवं केवीएस विनियमों के अनुरूप हैं।
v	**नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली एवं अभिलेख जो कर्मचारियों द्वारा रखे या प्रयोग किए जाते हैं**	विद्यालय केवीएस शिक्षा संहिता, केवीएस भर्ती नियम तथा केवीएस मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा जारी अन्य नियमावली/परिपत्रों का, साथ ही सीबीएसई संबद्धता उप-नियमों का पालन करता है।
vi	**धारित दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण**	विद्यार्थी प्रवेश एवं शैक्षणिक अभिलेख, कर्मचारी सेवा अभिलेख, शुल्क एवं लेखा अभिलेख, उपस्थिति रजिस्टर, तथा केवीएस क्षेत्रीय कार्यालय की आवधिक निरीक्षण रिपोर्ट विद्यालय द्वारा रखी जाती हैं।
vii	**नीति निर्माण में जनसाधारण के परामर्श या प्रतिनिधित्व हेतु व्यवस्था**	अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) की बैठकें तथा केवीएस मानदंडों के अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी), अभिभावकों एवं समुदाय के सदस्यों को विद्यालय के कामकाज पर सुझाव देने का माध्यम प्रदान करती हैं।
viii	**गठित बोर्ड, परिषद, समितियाँ एवं अन्य निकाय, तथा क्या उनकी बैठकें/कार्यवृत्त जनसाधारण के लिए खुले हैं**	विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी), अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए), तथा एक शिकायत निवारण समिति केवीएस दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती हैं। https://no2udaipur.kvs.ac.in/en/vidyalaya-mangement-committee/
ix	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका**	प्रधानाचार्य: श्री अरुण कुमार। https://no2udaipur.kvs.ac.in/en/staff-details/
x	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, जिसमें प्रतिकर प्रणाली शामिल है**	प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते केंद्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार के कर्मचारियों पर लागू 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार हैं। व्यक्तिगत वेतन पर्चियाँ प्रकाशित नहीं की

क्र.	विवरण	जानकारी
		जातीं; पदनाम के अनुसार वेतनमान श्रेणियाँ अनुरोध पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। https://no2udaipur.kvs.ac.in/en/monthly-remuneration-salary-of-staff/
xi	**आवंटित बजट, जिसमें योजनाएँ, प्रस्तावित व्यय एवं संवितरण रिपोर्ट शामिल हैं**	विद्यालय का वार्षिक बजट केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित केवीएस वार्षिक बजट के भाग के रूप में आवंटित एवं जारी किया जाता है। https://no2udaipur.kvs.ac.in/en/fee-structure/
xii	**सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति**	केवीएस मानदंडों के अनुसार पात्र श्रेणियों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी, बालिका विद्यार्थी तथा केवीएस कर्मचारियों के बच्चे शामिल हैं, को शुल्क में छूट उपलब्ध है।
xiii	**रियायतों, अनुज्ञप्तियों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण**	विद्यालय उपर्युक्त वर्णित शुल्क रियायतों के अतिरिक्त कोई अन्य रियायत, अनुज्ञप्ति या प्राधिकरण प्रदान नहीं करता।
xiv	**इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित सूचना**	कक्षा I के प्रवेश केंद्रीकृत केवीएस ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल (kvsonlineadmission.kvs.gov.in) के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। विद्यालय की वेबसाइट (no2udaipur.kvs.ac.in) पर सूचनाएँ, परिपत्र तथा यह प्रकटीकरण पृष्ठ उपलब्ध हैं।
xv	**नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाएँ, जिसमें पुस्तकालय/वाचनालय के समय शामिल हैं**	विद्यालय कार्यालय संपर्क: 0294-2584904, kv2udaipur@gmail.com
xvi	**लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) का नाम, पदनाम एवं विवरण**	मानक केवीएस प्रथा के अनुसार, विद्यालय के प्रधानाचार्य सामान्यतः विद्यालय के सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के रूप में कार्य करते हैं। श्री अरुण कुमार, प्रधानाचार्य। https://no2udaipur.kvs.ac.in/en/rti-apio/

क्र.	विवरण	जानकारी
xvii	**अन्य सूचना**	https://no2udaipur.kvs.ac.in/en/

आगे की जानकारी हेतु या आरटीआई आवेदन दर्ज करने के लिए, कृपया ऊपर उल्लिखित लोक सूचना अधिकारी से संपर्क करें। यह पृष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुपालन में बनाए रखा गया है।